

अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी

वाद संख्या 269/2016-17

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
5/11/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसे अभिलेख में संलग्न किया गया है। जमाबंदी रैयत के वंशज उपस्थित है व उनके द्वारा केवल लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है तथा अपने पक्ष में अन्य कोई कागजात प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग नहीं की गई है।</p> <p>मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-04/स.भू. (दिशा-निर्देश)-95/2016. 2074/रा. दिनांक-13.05.2016 के कण्डिका-क में वर्णित निर्देश के अनुसार लगान रसीद पूर्वाग्रह रहित होते हैं। अतएव मात्र लगान रसीद के आधार पर किसी के दावा बिना ठोस साक्ष्य के स्वीकार योग्य नहीं है। पंजी - 2 में प्राधिकार कालेम में भी किसी प्रकार का कोई आदेश अकिंत नहीं है।</p> <p>अतः जलफा मराण्डी पिता-पोडा मराण्डी के नाम से मौजा-लाहबेडा, थाना-टुण्डी, पृष्ठ संख्या-56 पर खाता संख्या-2/1, 45/1 एवं प्लॉट संख्या-840/915, 759/943 रकवा-0.15डी0 पर कायम जमाबंदी को संदेहास्पद मानते हुए रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, धनबाद को भेजे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अचल अधिकारी, पूर्वी टुण्डी।</p>	